

भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1608

बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

1608. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
- (क) बीएचईएल (भेल) द्वारा देत में विशेषकर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वित की गई सौर ऊर्जा परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) महाराष्ट्र के कौडगांव एमआईडीसी और उस्मानाबाद जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से कितनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उस्मानाबाद जिले में कितने पवन ऊर्जा संयंत्रों को स्वीकृति दी गई है,
- (घ) इस सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार का उस्मानाबाद जिले में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य नई परियोजनाएं करने का विचार है; और
- (च) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) बीएचईएल ने उस्मानाबाद जिले के कौडगांव में ईपीसी मोड में 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वित किया है, जिसे दिनांक 30.09.2022 को चालू किया गया। देश में भेल द्वारा कार्यान्वित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।
- (ख) चालू होने की तिथि, अर्थात् सितम्बर, 2022 से जून, 2024 तक, 50 मेगावाट के कौडगांव सौर संयंत्र ने लगभग 116 एमयू सौर ऊर्जा उत्पन्न की है।
- (ग) और (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उस्मानाबाद जिले में कोई पवन ऊर्जा संयंत्र स्वीकृत नहीं किया है और ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

तथापि, पवन विद्युत परियोजनाएं अधिकांशतः निजी डेवलपर्स द्वारा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित की जाती हैं। वर्तमान में, पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रालय की कोई विशिष्ट योजना/कार्यक्रम नहीं है।

- (ङ) और (च): अक्षय ऊर्जा (आरई) को बढ़ावा देने के लिए एमएनआरई, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले सहित पूरे देश में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को अनुलग्नक-II में दिए गए विवरण के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और डेवलपर्स से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों के आधार पर परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है।

अनुलग्नक-1

‘सौर ऊर्जा परियोजनाएं’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1608 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

बीएचईएल द्वारा कार्यान्वित सौर परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

राज्य	मेगावाट
गुजरात	428.6
तेलंगाना	246.5
तमिलनाडु	92.5
आन्ध्र प्रदेश	77
मध्य प्रदेश	71.7
महाराष्ट्र	54
ओडिशा	40
पश्चिम बंगाल	35
कर्नाटक	28
केरल	22
उत्तर प्रदेश	14.5
दमन, दीव और दादर नगर हवेली	7
हिमाचल प्रदेश	5
राजस्थान	5
त्रिपुरा	5
उत्तराखंड	5
बिहार	5
पंजाब	2
रूफटॉप सौर	12
कुल	1155.8

‘सौर ऊर्जा परियोजनाएं’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1608 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

चल रही प्रमुख अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यौरा

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। योजना के तहत भूमि, सड़कें, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाओं को सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित किया जाता है। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-पैमाने की सौर परियोजनाओं के त्वरित विकास में सहायता करती है।
2. सरकारी उत्पादकों द्वारा व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के साथ स्वयं या सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग हेतु प्रत्यक्ष तौर पर या वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से स्वदेशी रूप से निर्मित सौर पीवी सेलों एवं मॉड्यूलों का उपयोग करके ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
3. उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ‘राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम’।
4. छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैंड-अलोन सौर विद्युत कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना।
5. 1 करोड़ घरों हेतु रूफटॉप सौर स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना।
6. हरित ऊर्जा कॉरिडोर (जीईसी) चरण-I और चरण-II: अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करना।
7. जैव-ऊर्जा कार्यक्रम:
  - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम: शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।
  - बायोमास कार्यक्रम: ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
  - बायोगैस कार्यक्रम: पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।
8. अक्षय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रम।
9. अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, फेलोशिप, इंटरनशिप, अक्षय ऊर्जा के लिए लैब अपग्रेडेशन हेतु सहायता और अक्षय ऊर्जा चेयर जैसे घटकों के साथ मानव संसाधन विकास योजना।
10. ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोगिता एवं निर्यात के लिए भारत को वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत।